

(2)

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शुभंजीव शिरोडिया** 2. वर्तमान धारित पद **कारपे22/मेबेनिल**
3. वर्तमान वेतन **48700/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*शुभंजीव*

*21/03/2020*

*AAA*

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित प्रथम श्रेणी सेवा से मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर धारित समस्त अर्जित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

*शुभंजीव शिरोडिया*  
नाम **शुभंजीव शिरोडिया**  
पद **कारपे 22**  
दिभाग